



अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,अजमेर

[An IS/ISO 9001 : 2008 & IS 15000:1998 (HACCP) CERTIFIED ORGANIZATION]

एच एम टी के सामने ब्यावर रोड अजमेर फोन नं 0145 - 2440013,2440027 फेक्स नं 0145 - 2440778

सरस सामुहिक आरोग्य बीमा योजना :- इस योजना के अन्तर्गत समिति के 3 माह से 65 वर्ष तक की उम्र के दुग्ध उत्पादकों का 1 वर्ष के लिये इलाज का बीमा किया जाता है। जिसकी प्रीमियम राशि में से 20 प्रतिशत का अनुदान आर.सी.डी.एफ द्वारा व शेष राशि संघ, समिति, व सदस्य द्वारा बराबर – बराबर वहन की जाती है।

योजना में स्वयं + पत्नी + प्रथम दो बच्चे (3 माह से 21 वर्ष) पूर्णतया आश्रित हो का बीमा किया जाता है।

योजना में सामान्य बीमारी हेतु 1,00,000/- रु. बीमा राशि एवं कुछ गम्भीर बिमारियों हेतु 2,00,000/- रु. तक ईलाज खर्च हेतु बीमा राशि दी जाती है।

योजना में अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित एम्पेनलड निजी अस्पतालों में केशलेस की सुविधा उपलब्ध है।